

कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
शासकीय स्वशासी महात्मा गाँधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर
सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय, इन्दौर

क्रमांक / 19373 /स्था / वि / स्व / 2022

इन्दौर, दि 09/12/22

// आदेश //

मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-06/2018/1-55, दिनांक 07.04.2018 के द्वारा मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयीन चिकित्सकीय सेवा आदर्श नियम 2018 जारी किये गये हैं। शासकीय स्वशासी महात्मा गाँधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर के अधीन सुपरस्पेशलिटी चिकित्सालय, इन्दौर में सामान्य कर्तव्य चिकित्सा अधिकारी/आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु दिनांक 14/11/2022 को आयोजित साक्षात्कार उपरान्त चयन समिति द्वारा चयनित निम्नलिखित उम्मीदवारों को सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय, इन्दौर में सामान्य कर्तव्य चिकित्सा अधिकारी/आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी के पद पर अंतिम रूप से रु.15600-39100 + ग्रेड पे रु 5400 छटवां वेतन आयोग अनुसार सातवें वेतनमान में तत्स्थानी वेतनमान पर प्रतिमाह एवं समय-समय पर स्वीकृत भत्तों पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। वेतन के अतिरिक्त अन्य भत्ते शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अधीन स्वीकृत किये जावेंगे।

स.क्र.	चयनित उम्मीदवार का नाम	श्रेणी
1	DR.PALLAV AMRUTPHALE	UR

आपकी नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:-

1. चयनित प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण करने के एक माह के अन्दर संस्था द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के व्यय से स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा और परीक्षण संबंधी उपयुक्तता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, मेडिकल बोर्ड द्वारा उपयुक्त न पाये जाने पर अथवा 15 दिवस में स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर कार्यभार ग्रहण करने की ज्वानिंग रिपोर्ट को अमान्य किया जावेगा।
2. चयनित प्रत्याशी को आदेश जारी होने के दिनांक से 10 दिवस के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माने जावेंगे।
3. आपकी सेवायें किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी।
4. चयनित प्रत्याशी को पदस्थीकरण के स्थान तक जाने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
5. आपकी नियुक्ति एक वर्ष की कालावधि की परिवीक्षा पर होगी।
6. इस नियुक्ति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला के पदों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों को ध्यान में रखा गया है।
7. आपकी नियुक्ति इस स्वशासी संस्था के सेवा शर्तों के अधीन होगी, संस्था अपनी सेवा शर्तों में आंशिक सुधार एवं परिवर्तन कर सकेगी।
8. एक बार इस संस्था में नियुक्ति होने के पश्चात् आपकी सेवाएँ अन्य संस्थाओं को स्थानांतरित नहीं होगी।
9. उपस्थिति दिनांक को संपूर्ण प्रमाण पत्र, (जाति प्रमाण पत्र सहित) उपाधियाँ एवं अन्य प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रतियाँ स्वप्रमाणित कर जमा करना होगा।
10. संस्था में नियुक्त किसी भी चिकित्सक को राजनैतिक अथवा किसी भी अवधित गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं है।
11. चयनित प्रत्याशी की नियुक्ति एवं परिवीक्षा अवधि समाप्ति संबंधि कार्यवाही पुलिस वैरीफिकेशन में उपयुक्त पाये जाने के उपरान्त ही मान्य होगी।
12. यदि आप किसी संस्था में कार्यरत हैं तो कार्यभार ग्रहण करते समय अपने नियोक्ता का कार्यमुक्ति आदेश/अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें।
13. चयनित प्रत्याशी के विरुद्ध पी.एम.टी. यू.जी./पी.जी./एस.टी.एफ. आदि किसी भी स्तर पर कोई भी कार्यवाही लंबित /प्रचलित होने पर उपरोक्त में आपकी संलिप्ता यदि पाई जाती है तो आपकी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी। इस हेतु आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

14 सेवा अर्वाधे मे नियुक्त चिकित्सक के कदाचरण संबधी कार्यवाही म प्र.स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालीयन चिकित्सकीय सेवा आदर्श नियम 2018 के अतर्गत की जावेगी।

-// -

(डॉ० संजय दीक्षित)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता

शा.स्व.स्मृ. चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर

इन्दौर, दि. 09/12/22

पृ कमाक /
पतिलिपि -

18374-81

/स्था/वि/स्व/2021

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र., सतपुडा भवन, भोपाल
3. आयुक्त, इन्दौर संभाग एवं अध्यक्ष स्वशासी संस्था, म.गॉ.स्मृ. चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर।
4. अधीक्षक सुपरस्पेशिलिटी चिकित्सालय, इन्दौर।
5. अध्यक्ष, मेडिकल बोर्ड स्वशासी संस्था एवं प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष मेडिसिन म.य.चि इन्दौर।
6. लेखा शाखा, स्थानीय कार्यालय।
7.संबंधित चिकित्सक।

(डॉ० संजय दीक्षित)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता

शा.स्व.स्मृ. चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर